

115

7049-7/2015

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर कैम्प-सागर (म.प्र.)

(271)

श्रीमति पूजा राठौर पत्नि श्री नितिन राठौर

निवासी - गौर नगर मकरोनिया, तहसील व जिला सागर

----- अपीलार्थी

बनाम

म.प्र.शासन

द्वारा- श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, सागर

----- प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 47 क (6) म.प्र. स्टाम्प अधिनियम

अपीलार्थी यह अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय सागर के प्रकरण क्रमांक 126/व-105/13-14 से परिवेदित होकर अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य


- (क) अपीलार्थी का नाम - श्रीमति पूजा राठौर पत्नि नितिन राठौर निवासी गौर नगर मकरोनिया, सागर
- (ख) लिखित के निष्पादक - श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर वल्द श्री अमोलसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम बामौरा तहसील व जिला सागर
- (ग) लिखित के दावेदार - श्रीमति पूजा पत्नि नितिन राठौर का नाम
- (घ) लिखित की तारीख एवं- 02-04-2013 विक्रय पत्र प्रकार
- (च) संपत्ति का विवरण - मोजा गंभीरिया पटवारी हल्का नंबर 76, सर्किल सागर एवं तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 477/1 रकवा 0.72 हे. में से 0.14 हेक्टेयर यनी 0.34 डिसमिल।
- (छ) अपर आयुक्त के आदेश-21-09-2015 के विरुद्ध अपील पेश की गई

(Signature)

121...

(Handwritten mark)

26 OCT 2015



B.O.R.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 7049-II/15

जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-2016	<p>मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया।</p> <p>ऐसा करने पर मैं यह पाता हूँ कि विद्वान अपर आयुक्त ने उन आधारों का अपने आदेश में उल्लेख कर उनपर विचार किया जो आवेदक द्वारा रा मं के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं।</p> <p>अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि २१-९-१५ स्व-स्पष्ट और बोलते स्वरूप का है जिसमें निष्कर्ष के आधार स्पष्ट रूप से अभिलिखित किये गए हैं। इस आदेश में अपर आयुक्त की विवेचना से यह स्पष्ट है कि आवेदक के तर्क सही नहीं हैं और वह केवल शासकीय देयताओं से बचने के लिए वरिष्ठ न्यायालय रा मं में यह अपील दायर करना चाह रहा है। मैं आवेदक के तर्क के बिन्दुओं को, जो कि अपील मेमो में लिखे हैं, और अपर आयुक्त की विवेचना के बिन्दुओं, जो कि उनके आक्षेपित आदेश में लिखे हैं, विचार में ले रहा हूँ, किन्तु उनके अभिलेख में विद्यमान होने की वजह से उन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ।</p> <p>उपरोक्त के प्रकाश में मैं यह अपील आवेदन रा मं में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ और उसे अग्राह्य एवं अस्वीकार करते हुए यह प्रकरण रा मं से समाप्त करता हूँ।</p> <p>आदेश पारित।</p> <p>पक्षकार सूचित हों।</p> <p>प्रकरण समाप्त।</p> <p>दा द हो।</p> <div style="text-align: right;">  (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य </div>	